

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 49/2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी— जी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप
37, रीको 4 फेज, पुर रोड़, भीलवाड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :- प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि



निर्णय

दिनांक : 17.08.2021

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपीलेट अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भीलवाड़ा को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 19.07.2021 को प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 52 एफ 391746 राशि 10.00 रुपये के साथ एक आवेदन दिनांक 17.06.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित किया।

प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 02 की आंशिक एवं बिन्दु संख्या 03 की पूर्ण सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के पत्रांक 20350 दिनांक 28.06.2021 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा को संबंधित बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.07.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 82403 दिनांक 11.08.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी के आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 2 की आंशिक सूचना का नियमानुसार जवाब एवं बिन्दु संख्या 3 से चाही गयी पूर्ण सूचना की कुल प्रतिलिपि शुल्क राशि 4/- रुपये नगद/पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से नियमानुसार कार्यालय में जमा कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक 82192 दिनांक 28.06.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया, किन्तु प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक उक्त वांछित राशि जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।
2. अपीलार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 की पूर्ण एवं बिन्दु संख्या 02 की आंशिक सूचना भी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा के पत्रांक 20394 दिनांक 16.07.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित की गयी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 02 की आंशिक सूचना प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित कर दिये जाने एवं बिन्दु संख्या 03 की पूर्ण सूचना की प्रतिलिपि शुल्क राशि अपीलार्थी द्वारा जमा करवाकर सूचना प्राप्त नहीं करने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा कलक्टर
भीलवाड़ा